

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र सं. 19/2022

उनवान

श्री कमरुद्दीन पुत्र श्री गनी मौहम्मद निवासी टॉटगढ जिला अजमेर (राज)

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी अजमेर

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित :-

1. श्री जिनेश सिंह सोनी अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

आदेश

दिनांक:- 24.04..2023

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि अतिरिक्त खाघ आयुक्त खाघ एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर से पुनरीक्षण याचिका संख्या 2/2020 बउनवान कमरुद्दीन पुत्र श्री गनी मोहम्मद बनाम जिला कलक्टर अजमेर व जिला रसद अधिकारी अजमेर निर्णय दिनांक 23.03.2022 इस आशय का प्राप्त हुआ कि पुनरीक्षण याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4.12.2019 एवं जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण जिला कलक्टर, अजमेर को इस निर्देश साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उक्त तथ्यों को दृष्टिगत पुनः प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए 2 माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करे । प्रकरण प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया ।

वकिल अपीलान्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया गया कि अपीलान्ट पिछले 24 वर्षों से उचित मूल्य दुकान का संचालन ईमानदारी से कर रहा है इस अवधि में अपीलान्ट के विरुद्ध एक भी शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई । अपीलान्ट के राज्य सरकार के खाघ विभाग द्वारा रसद सामग्री के वितरण हेतु पीओएस मशीन का वितरण किया गया, किन्तु इस बाबत कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया । पीओएस मशीन में उपभोक्ताओं के अंगूठे निशान नहीं आने पर क्या कार्यवाही की जानी है इस बाबत भी कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिये गये। जानकारी किये जाने पर प्रवर्तन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा केवल यह निर्देश दिये गये कि किसी उपभोक्ता की रसद सामग्री नहीं मिलने की शिकायत नहीं आनी चाहिए । इसी बात को मध्यनजर रखते हुए जारी कारण बताओ नोटिस का अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया । अपीलान्ट द्वारा उचित मूल्य दुकान अनुज्ञा पत्र के निलम्बन कार्यवाही के विरुद्ध एक रिट पिटिशन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि 90 दिन पश्चात अपीलान्ट का उचित मूल्य दुकान का अनुज्ञा पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 16.08.2017 से आक्षेपित निलम्बन को निरस्त


(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

कर अनुज्ञा पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये गये। जिसकी पालना हेतु अपीलान्त द्वारा रेस्पोंडेन्ट को दिनांक 21.8.2017 के प्रार्थना पत्र के जरिये निवेदन किया गया। तत्पश्चात अप्रैल 2018 में रेस्पोंडेन्ट का दिनांक 10.8.2017 का पत्र मिला जिसमें अपीलान्त की उचित मूल्य दुकान का अनुज्ञा पत्र निरस्त किये जाने का उल्लेख था। प्रश्नगत उचित मूल्य दुकान के उपभोक्ताओं को अपीलान्त से कोई शिकायत नहीं है एवं ना ही अपीलान्त द्वारा अपने दुकान के उपभोक्ताओं को समय पर रसद सामग्री का वितरण किया जाता रहा है। नियमानुसार पीओएस मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन के पश्चात ही उपभोक्ता को गेट्स का वितरण किया गया है। उपरोक्त सिस्टम में नया होने तथा पॉस मशीन एवं सीडिंग की पूर्ण जानकारी नहीं होने कारण एक आधार कार्ड से अनेक उपभोक्ताओं के गेट्स निकालने की गलती अनजाने में हो गई। गलत नियत या जानबूझ कर इस तरह का ट्रांजेक्शन नहीं किया गया है। अपीलान्त द्वारा किसी भी प्रकार से प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है। जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा बिना किसी पुख्ता आधार के जल्दबाजी में आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से अवैध शून्य एवं प्रभावित है उक्त आदेश श्रीमान द्वारा दिनांक 04.12.2019 को अपील खारिज की जाने पर एक पुनरीक्षण याचिका अतिरिक्त खाघ आयुक्त खाघ एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर से पुनरीक्षण याचिका संख्या 12/2020 बचनवान बालू सिंह उर्फ बाल सिंह बनाम जिला कलक्टर अजमेर व जिला रसद अधिकारी अजमेर निर्णय दिनांक 23.02.2022 इस आशय का प्राप्त हुआ कि प्रकरण के विपरित प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण का आदेश दिनांक 10.08.2017 को अर्थात् उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय दिनांक 11.8.2017 से एक दिन पूर्व किया जाना पाया जाता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया विवादित आदेश जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा सद्भावनापूर्वक जारी किया जाना प्रतीत नहीं होता है। इसलिए प्रकरण को इन तथ्यों के दृष्टिगत रखते हुए पुनः गहराई से देखे जाने हेतु श्रीमान को रिमाण्ड कर पुनरीक्षण याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2019 एवं जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण जिला कलक्टर, अजमेर को इस निर्देश साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उक्त तथ्यों को दृष्टिगत पुनः प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए 2 माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अतः अपील स्वीकार कर विवादग्रस्त निर्णय दिनांक 10.08.2017 जिला रसद अधिकारी अजमेर के प्रकरण संख्या 462/2016 में पारित किया गया है को निरस्त करने के आदेश पारित किये जावे एवं निरस्त प्राधिकार पत्र को बहाल करे।


परोकार सरकार ने निवेदन किया गया कि अपीलान्त द्वारा एक ही आधार कार्ड से एक से अधिक ट्रांजेक्शन किये जाने की खाघ विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध विभागीय प्रकरण संख्या 466/16 दर्ज कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका अपीलान्त द्वारा लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वीकार किया कि पीओएस मशीन द्वारा एक ही आधार कार्ड से एक से अधिक ट्रांजेक्शन गलत नियत व जानबूझ कर नहीं किया। मेरे द्वारा गलती से या अनजाने में ट्रांजेक्शन गहो गये इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं होगी। इस पर क्षेत्रिय प्रवर्तन निरीक्षक से जांच रिपोर्ट तलब की गई। जिसके अनुसार भी अपीलान्त डीलर द्वारा एफपीएस कोड संख्या 2147 द्वारा आधार कार्ड नं० 882642020237 का दुरुपयोग कर अलग अलग उपभोक्ताओं के कुल 34 राशन

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

कार्डों के साथ सीडिंग करके 180 किलोग्राम गेहूँ, 104 लीटर अनुदानित केरोसीन, को गलत तरीके से अवैधानिक ट्रांजेक्शन किया गया । एक ही आधार कार्ड की आई डी का उपयोग दूसरे व्यक्तियों के राशनकार्डों पर कर ट्रांजेक्शन करना पूर्णतः औानिक एवं नयम विरुद्ध है। लिहाजा विभागीय प्रकरण से कार्यालय आदेश क्रमांक 42 दिनांक 09.02.2017 के द्वारा अपीलान्ट को जारी एफपीएस कोड नं0 2147 तहसील टॉटगढ का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया । तत्पश्चात अपीलान्ट का कृत्य विभागीय आदेशों एवं राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11, 17 (सी) एवं 18 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा दिनांक 10.08.2017 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमा प्रतिभूति जब्त सरकार किये जाने का आदेश पारित किया गया । श्रीमान् के आदेश दिनांक 04.12.2019 को आदेश जारी किया गया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अतः उक्त आदेश पूर्णतया न्यायसंगत विधि अनुरूप तथा अपीलान्ट द्वारा बरती गई अनियमितताओं के मध्यनजर होने से अपील अस्वीकार कर खारिज की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें ।

हमने उभय पक्ष की बहस पर अपील तथ्यों के परिपेक्ष्य में मनन किया एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.08.2017 में स्पष्ट किया गया है कि यदि निलम्बन आदेश दिनांक से 90 दिन पूर्व पारित किया गया हो आदेश तब आगे जारी नहीं रहेगा बल्कि उक्त से अलग रखा गया है। खाद्य निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा आधार कार्ड से एक से अधिक ट्रांजेक्शन किये जाने की विभागीय रिपोर्ट तथा क्षेत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक से बाद जांच प्राप्त रिपोर्ट में अपीलान्ट के विरुद्ध गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि होने एवं विभागीय आदेशों एवं राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11, 17 (सी) एवं 18 के उल्लंघन पाया जाने पर ही जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा आक्षेपित आदेश द्वारा अपीलान्ट (डीलर) का प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमा प्रतिभूति जब्त सरकार की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जवाब सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर पारित आदेश में कोई कानूनी भूल किया जाना प्रकट प्रतीत नहीं होती है तथा संबंधित जिला रसद अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण गहन जांच एवं अनुसंधान के पश्चात ही हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिस बाबत हाजा न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों को समुचित साक्ष्य एवं सबूत का अवसर प्रदान कर तथा समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर उक्त प्रकरण बाबत पूर्व में दिनांक 04.12.2019 को निर्णय पारित किया गया जो कि विधि सम्मत प्रतीत होता है तथा हाजा न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना न्यायसंगत नहीं है। अतः टोस आधार नहीं होने से अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा आदेश दिनांक 04.12.2019 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.04.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।


(अंश दीप)
जिला कलक्टर
अजमेर